अति महत्वपूर्ण/ईमेल द्वारा

षक,

शिक्षा निदेशक, उ0शि0, उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री अर्थ–1 अनुभाग,
इलाहाबाद

वा में,

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

त्रांक डिग्री अर्थ–1/ 7225-7577/2017–18 दिनांक : 14-3-2018

षयः– प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता परिनियम में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किये जाने के संबंध में।

ोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में डा0 हरेन्द्र कुमार राय, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 05 जुलाई 2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों का समय समय पर विनियमितीकरण किया जाता रहा है। विनियमितीकरण की यह प्रक्रिया उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 31(बी), 31(सी) व 31(डी) के माध्यम से की गयी है। अधिनियम की धारा 31(बी) व 31(डी)में अन्य संशोधनो के आधार पर भी विनियमितीकरण के आदेश निर्गत किये गये है। उक्त संदर्भित अधिनियमों के माध्यम से विनियमित शिक्षक महाविद्यालयों में वरिष्ठतम शिक्षकों की श्रेणी में आ चुके है। विनियमित होने वाले शिक्षक विनियमितीकरण के पूर्व अनेक वर्ष तक तदर्थ रूप से कार्यरत रहे हैं। शासन के विनियमितीकरण आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्गमन आदेश की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी। यह एक प्रचलित और स्थापित नियम है कि विनियमितीकरण की तिथि ही मौलिक नियुक्ति की तिथि होगी और वरिष्ठता का आगणन उसी तिथि से किया जायेगा।

निदेशालय के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय महाविद्यालय के प्राचार्य अपनी सुविधा और मनमानी के आधार पर महाविद्यालयों के शिक्षकों की वरिष्ठता का आगणन तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से करने लगे हैं जिससे अनेक महाविद्यालयों में विवाद पैदा होने लगा है। इससे महाविद्यालयों में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है तथा शैक्षिक वातावरण प्रभावित हो रहा है एवं माननीय न्यायालयों में विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत होने लगी है। परिनियम में उल्लिखित व्यवस्था 18–10 (ग) व (ण) के आधार पर महाविद्यालयों में वरिष्ठता का निर्धारण का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य को होता है परन्तु जब अनियमितता प्राचार्य द्वारा ही की जाती हो तो शिक्षक असहाय हो जाता है। उक्त के विरूद्ध विश्वविद्यालय में अपील की व्यवस्था है परन्तु पहले प्राचार्य इसमें सहयोग नही करते और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसके निस्तारण में वर्षो लग जाते हैं। परिणामस्वरूप शिक्षक अपने वरिष्ठता निर्धारण की प्रतीक्षा में सेवानिवृत्त हो जाता है यह स्थिति चिन्ताजनक है।

अतः संदर्भगत विषय में निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं शासनादेशों में स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद भी यदि प्राचार्यो/प्रबंधकों द्वारा वरिष्ठता के आगणन एवं निर्धारण में गंभीर अनियमितताएं परिलक्षित होगी या पायी जायेगी तो ऐसे प्राचार्य/महाविद्यालय प्रबंधतंत्र के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे। प्रकरण में समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में उक्त आशय का परिपत्र अपने स्तर से भी परिचालित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह)
सहायक निदेशक, उ0शि0,
कृते शिक्षा निदेशक, उ0शि0,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पत्रांक : रू.वि./सम्ब./2018/7700 दिनांक : 22.03.2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय,
एमजेपी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार अपने महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची शीघ्र अतिशीघ्र तैयार अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव